SPICES BOARD
(Ministry of Commerce and Industry
Government of India)
Sugandha Bhavan
N.H. By-pass
P.B. No. 2277
Palarivattom P.O.
Cochin - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन. एच. बाइपास
पी. बी. नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोचिन - 682 025, भारत

परिपत्र सं.:12/2022-23 07 नवंबर, 2023

विषय: मोरक्को को मसालों और मसाला उत्पादों के निर्यात के लिए सलाह-बाबत

भारतीय राजदूतावास (ईओआई), रबात, मोरक्को साम्राज्य द्वारा मोरक्को को उत्पाद निर्यात करन□वाल□ भारतीय निर्यातकों क□ लिए जारी की गई सलाह अनुलग्नक I क□ रूप में संलग्न है।

यह ध्यान में रखत□हुए कि मसालों और मसाला उत्पादों क□ कुछ निर्यातकों को कथित तौर पर मोरक्को क□ खरीदारों स□भुगतान प्राप्त करन□में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, मसालों और मसाला उत्पादों क□ सभी निर्यातकों को सलाह दी जाती है कि व□मोरक्को को मसालों और मसाला उत्पादों का परषण निर्यात करत□समय सलाह पर ध्यान दें और उचित परिश्रम करें।

निदशक (विपणन)

सवा में
मसाल□एवं मसाला उत्पादकों क□ सभी निर्यातक

(फाइल सं:विपणन-क्यूआर/0003/2019-15664 स□जारी)

संलग्नक ।

भारतीय राजदूतावास

राबत

मोरक्को में व्यापार करने के लिए भारतीय कंपनियों को सलाह

जबकि मोरक्को विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय निर्यातकों के लिए व्यापार के बहुत सारे अवसर प्रदान करता है, भारतीय राजदूतावास मोरक्को साम्राज्य में आयातकों/कंपनियों के साथ काम करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देने के लिए परिप्रेक्ष्य भारतीय निर्यातकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। नीचे दी गई सलाह प्रकृति में संक्षिप्तात्मक है और इसे सामान्यीकृत दृष्टिकोण के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य राजदूतावास के ध्यान में आई सामान्य सावधानियों और अन्य प्रवृत्तियों को प्रयोग में लाना है:

- हमेशा अपरिवर्तनीय **साख पत्र** के साथ व्यापार करने पर जोर दें। यह सलाह दिया जाता है कि मोरक्को के आयातक से कम से कम 30 प्रतिशत अग्रिम लें और फिर शेष राशि का भुगतान साख पत्र द्वारा प्राप्त करने पर जोर दें। उधार लेकर व्यापार न करें। 10% से 30% अग्रिम भुगतान करने की एक प्रवृत्ति है, और सामान प्राप्त करने के बाद, कुछ बेईमान तत्व भुगतान में देरी करने/भुगतान न करने के लिए विभिन्न चाल का उपयोग कर सकते हैं। कुछ आयातकों की यह भी प्रवृत्ति होती है कि वे बैंक से दस्तावेज़ जारी नहीं करते हैं और छूट मांगते हैं और अफवाहें फैलाते हैं कि सामान/वस्तुएँ निम्न गुणवत्ता की हैं। निर्यातकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने लेनदेन में ऐसी चीजों का शिकार न बनें।

- हाल के दिनों में ऐसे उदाहरण सामने आए हैं, जहाँ आयातकों ने कुछ कपटपूर्ण प्रलेखन के आधार पर बंदरगाह से माल जारी किया है (ऐसे मामलों में जहाँ दस्तावेजों को बैंक के माध्यम से आयातकों द्वारा पूर्ण भुगतान पर जारी किया जाना है)। कभी-कभी आयात एक दस्तावेज दिखाता है जो बैंक को भुगतान जारी करने का निर्देश देता है और निर्यातकों को बताता है कि उसने बैंक के साथ राशि अवरुद्ध कर दी है और निर्यातक पर जोर देता है और दस्तावेजों को जारी करने के लिए बैंक को स्विफ्ट संदेश भेजने के लिए दबाव डालता है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि दस्तावेज़ संबंधित बैंक द्वारा स्विफ्ट पुष्टिकरण संदेश के बाद ही जारी किए जाएँ।

- यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मोरक्को के संबंधित बैंक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त बैंक होने चाहिए जैसे कि बैंक ऑफ अफ्रीका बीएमसीई, अट्टीजारिवाफा बैंक या बैंके पॉपुलेर आदि जिनके पास अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण सुविधा है। यदि आयातक अज्ञात बैंकों या धन

प्रेषण एजेंसी का उल्लेख करते हैं, तो दस्तावेज़ भेजने से पहले इसे राजदूतावास या कुछ अन्य विश्वसनीय स्रोतों के माध्यम से सत्यापित किया जाना चाहिए।

- राजदूतावास को यह जानकारी दी गई है कि मोरक्को में कुछ कंपनियाँ कुछ स्थानीय शिपिंग या फॉरवर्डर्स कंपनियों का उपयोग करती हैं जो भारतीय कंपनियों को धोखा देने में भी शामिल हैं। ये कंपनियाँ उन आयातकों को मूल दस्तावेज देती हैं जो बैंक से दस्तावेज जारी किए बिना या कोई भुगतान किए बिना कार्गो का समाशोधन करते हैं। यह भी देखा गया है कि मूल दस्तावेज अभिहित बैंक के पास थे और परेषण को स्थानीय एजेंटों की मिलीभगत से समाशोधित की गई थी, जो इन कागजात को बंदरगाह अधिकारियों को सौंपते हैं। ऐसी कंपनियों के साथ काम न करने की सलाह दी जाती है जो किसी स्थानीय अग्रेषण एजेंसी का पता या कुछ अन्य संदिग्ध नाम देती हैं। ऐसे मामले ज्यादातर मार्बल, सेनेटरी वेयर और मसाले/चावल के मामलों में पाए जाते हैं।

- निर्यातकों को आक्रामक विपणन और यथोचित परिश्रम किए बिना और कोई अग्रिम राशि लिए बिना बिक्री के खिलाफ भी सलाह दी जाती है।

- निर्यातकों के ध्यान में यह भी लाया जाता है कि यदि सामान आगमन के 45 दिनों के भीतर सीमा शुल्क/बंदरगाह से समाशोधित नहीं किया जाता है, तो उन्हें स्थानीय अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया जाएगा और उसके बाद नीलाम कर दिया जाएगा। इसलिए ऐसी किसी भी स्थिति से बचने के लिए सभी सावधानियाँ बरती जानी चाहिए।

- निर्यातकों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे सरकारी प्राधिकरणों द्वारा आगमन पर गुणवत्ता निरीक्षण के समय किसी भी मुद्दे से बचने के लिए सभी शिपमेंट के लिए गुणवत्ता नियंत्रण नियमों के साथ-साथ पादप-स्वच्छता अपेक्षाओं के बारे में पूरी तरह से जागरूक रहें, जो कि वे मोरक्कन नियमों/विनियमों का अनुपालन करते हैं।

- यह सलाह दी जाती है कि सामान्य तौर पर मोरक्को की कंपनियों के साथ व्यापार करने के लिए ऑनलाइन प्रश्नों और उत्तरों पर भरोसा न करें। जबकि कुछ प्रमाणिक हैं, उनमें से कुछ भारतीय निर्यातकों को नियमित रूप से धोखा देने में शामिल हैं। कृपया कुछ स्थानीय साझेदारों से संपर्क करें और जब भी संभव हो, मार्गदर्शन आदि के लिए भारतीय दूतावास को लिखें।

- यदि संभव है तो व्यापार करने से पहले भौतिक सत्यापन के लिए पूर्वेक्षण कंपनी में जाएँ या eoi.rabat@mea.gov.in पर राबत के भारतीय राजदूतावास को एक ई-मेल भेजें।

- जब भी संभव है, भारत के बंदरगाह प्राधिकरण के साथ और शीर्ष निकायों से मोरक्को के निर्यातकों की जाँच करने का प्रयास करें।

- सामान को बीमा कराने की सलाह दी जाती है। समय बचाने के लिए किसी शोर्ट कट का प्रयोग न करें।

- कुछ प्रामाणिक मामलों में, आयातक अपने द्वारा आयोतित किए जाने वाले सामान के बारे में प्रमाणन माँग सकता है, जो निर्यातक द्वारा किया जा सकता है
- कुछ वास्तविक मामलों में, आयातक उस सामान के बारे में प्रमाणीकरण मांग सकता है जिसे वह आयात कर रहा है, जो निर्यातक द्वारा आयातक को शिपमेंट से पहले एक एसजीएस रिपोर्ट (अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त ऑडिट रिपोर्ट) प्रदान करके किया जा सकता है, यह प्रमाणित करने के लिए कि सामान ऑर्डर / निर्दिष्ट के अनुसार है।

- साथ ही, यह सुनिश्चित करें कि आयातक मोरक्को प्राधिकरणों को क्रोस चेकिंग के माध्यम से शिपिंग एजेंसी के साथ साथ अन्य स्रोतों से भी ड्यूटि की सही राशि का भुगतान कर रहा है। आयात उगाही की कम राशि का भुगतान करने के लिए बीजक में दर्शाई गई राशि को कम करने के लिए बीजक की फोटो शॉपिंग की घटनाएँ हैं। इससे मोरक्को के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा सकती है और भारतीय निर्यातकों के लिए भी परेशानी खड़ी हो सकती है।

****